

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)– प्रथम
मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर 474002
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002

दिनांक – 21/08/2021

OFFICE ORDER- 66

इस कार्यालय के संवर्ग नियंत्रणाधीन कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– द्वितीय) मध्य प्रदेश, भोपाल में कार्यरत श्री रूपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (01/6824) (MPBPW3111389) को कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीडित, भोपाल में लेखा अधिकारी के पद पर उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों पर तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप दिनांक-23.08.2021(अप) को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीडित, भोपाल में कार्यग्रहण करें।

Consequent upon selection of Shri Rupendra Kumar Srivastava, Sr. Audit Officer (01/6824) (MPBPW3111389), posted in O/o Accountant General (Audit)- II, Madhya Pradesh, Bhopal under cadre control of this office, on deputation basis for the post of Accounts Officer in the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victim, Bhopal on the terms and conditions accepted by him as well as under the terms and conditions issued by Government of India from time to time, he is relieved on 23-08-2021 (AN) and is directed to join the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victim, Bhopal.

उक्त स्थानान्तरण लोकहित में है।

Aforesaid transfer is in public interest.

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरन्त दें।

He shall immediately intimate his joining in the aforesaid office, to this office, through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.वी. 14017/30/2006 स्था.(आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र क्रमांक-19 लेखापरीक्षा (नियम)66-2002(KW)/IX -2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों द्वारा प्रतिनियुक्ति नियमित की जाती है-

The deputation will be regularized in terms of the following other conditions contained in Do.P.T.O.M.No.A.V.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received with Headquarters' letter no.19 Audit(Rules)66-2002(KW)/IX-2007(10)dated 06.03.2007:-

1 प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी को दिनांक- 23.08.2022 को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिये जायेंगे।

The deputation will be for one year and the officer on deputation will have to be compulsorily relieved on 23-08-2022. No separate order will be issued for his relieving.

2 प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिये अपेक्षित अनुमोदन दे दिया है। प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवरस्टे न हो यह सुनिश्चित करना उसके अगले उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं- DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 के यदि उदारग्रहीता कार्यालय अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति निर्धारित अवधि से आगे बनाया रखना चाहते हैं तो उन्हें उदारदाता कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी से सहमति हेतु छह माह पूर्व कार्यवाही प्रारंभ करना चाहिए।

Deputation period will not be extended and he will be treated as

relieved **unless** the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstaying of staff on deputation. As per para 8.3.1 (ii) of DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010, If the borrowing organisation wishes to retain an officer beyond the prescribed tenure, it shall initiate action for seeking concurrence of lending organisation, individual concerned etc. **six months** before the date of expiry of tenure.

3 यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनों, तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिये जिम्मेदार होगा जिसमें शामिल होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि की पेंशन के प्रयोजन के लिये सेवा नहीं गिना जायेगा तथा अनाधिकृत रूप से अधिक दिनांक तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक आस्थगित रहेगी जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

In the event the officer overstaying for any reason whatsoever, he will be liable to disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include that period of unauthorized overstay shall not count against service for the purpose of pension and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins his parent cadre.

4 टी.ए./मेडिकल क्षतिपूर्ति/सी.ई.ए./एल.टी.सी. तथा सी.जी.एच.एस. स्कीम के अन्तर्गत लाभ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/आदेशों के अनुसार लागू होंगे।

The benefits under TA/Medical Claim/C.E.A/L.T.C & CGHS Scheme will be applicable as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time.

हस्ता/—

उपमहालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक – 21/08/2021

सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अराज.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली— 110124 को सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ता/—

उपमहालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक – 21/08/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 सचिव प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

2 सचिव महालेखाकार (लेखापरीक्षा— द्वितीय) 53—अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल।

3 इन्चार्ज रजिस्ट्रार, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीडित, भोपाल, डॉ राजेन्द्र प्रसाद भवन, पुरानी विधान सभा के सामने के पत्र क्रमांक— पत्र क्रमांक— No.467/WC/Estt.2021 दिनांक— 26.07.2021 के संदर्भ में ।

4 उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

5 वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा— द्वितीय) 53—अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल।

6 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन—1, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा— द्वितीय) 53—अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल को इस आषय के साथ कि, श्री रूपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरि. लेखापरीक्षा

अधिकारी को दिनांक – 13.08.2021 (अप.) को सीधे प्रतिनियुक्ति कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करने का कष्ट करें।।

7 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन– 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष (प्रशिक्षण) एवं गोपनीय कक्ष।

8 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई. एस. एण्ड डी.ए.सी को इन्ट्रानेट पर **Administration- Personnel** लिंक एवं कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

9 श्री अंबुज कुमार पाण्डे/ स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

10 महामंत्री, सिनियर ऑडिट आफिसर्स एवं ऑडिट आफिसर्स एसोसिएशन, ग्वालियर।

11 श्री रूपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी को कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– द्वितीय) 53–अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल के द्वारा।

12 सूचना पटल/ऑडिट भवन ।

13 गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

हस्ता/–

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन–11